न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–01/2024 दर्ज तिथिः–15.10.2024

1. मेती कंवर पुत्र गेबसिंह पत्नी बलवन्तसिंह
   जाति राजपूत निवासी जोधावास, तहसील चितलवाना, जिला सांचोर
   ....अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत लोहारवा,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
2. मदनकंवर पुत्री गेबसिंह
3. आलमसिंह पुत्र विरधसिंह
4. जगसिंह पुत्र मुल्तानसिंह
5. जालमसिंह पुत्र रूगसिंह
6. तेजसिंह पुत्र हेमसिंह
7. तनसिंह पुत्र हेमसिंह
8. नरपतसिह पुत्र रूगसिंह
9. प्रेमसिंह पुत्र विजयसिंह
10. भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह
11. म्ंगलसिंह पुत्र भानसिंह
12. मांगूसिंह पुत्र छोगसिंह
13. मिश्रसिंह पुत्र हेमसिंह
14. शातिदेवी पत्नी रूगसिंह
15. हीरसिंह पुत्र विजयसिंह
    जाति राजपूत, निवासी लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
    ....असल प्रत्यर्थी
16. तहसीलदार धोरीमना जिला बाड़मेर
17. शाखा प्रबन्धक,भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः–श्री हरीराम विश्नोई
प्रत्यर्थीः–एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75
राज.भू–राजस्वअधिनियम–1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—20.05.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलमीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का सूक्ष्मतः व सारतःविवरणइस प्रकार से है:—

- कि हाल आराजी खसरा 574 रकबा 15.4266 है0, मौजा लोहारवा, ग्राम पंचायत लोहारवा तहसील धोरीमन्ना में अवस्थित है।
- कि उक्त आराजी मे अपीलान्ट के पिता गेबसिंह का स्वर्गवास दिनांक 13.03.2019 को हो गया था। गेबसिंह के फौत होने पर उनकी फौतगी का नामान्तकरण संख्या 868 दिनांक 20.04.2019 को स्वीकृत कर भरा गया जो उतरदाता संख्या 2 ने मृतक गेबसिंह के वारिश मात्र उतरदाता संख्या 2 मदनकंवर को बताकर गलत भरा गया जबकि गेबसिंह के पांच पुत्रियां मेतीकंवर,अमियोंकंवर,कालीकंवर,चुकीकंवर व मदनकंवर विधिक वारिशान होने के बावजूद भी केवल उतरदाता संख्या 2 के अलावा बाकी का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं किया गया।
- अपीलान्ट को इस म्युटेशन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई जो स्व. गेबसिंह की जायंदा पुत्री है। उक्त नामान्तकरण के बारे में अपीलान्ट ग्रामीण महिला होने से उस समय जानकारी नहीं हो सकी। उक्त नामान्तकरण संख्या 868 का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम अरसा करीबन एक माह पूर्व अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने हेतु पटवारी से वर्तमान जमाबंदी की प्रति प्राप्त की तथा म्युटेशन की नकले प्राप्त करने पर उक्त विधि विरूद्व तरीके से पारित नामान्तकरण की जानकारी प्राप्त हुई।
- कि अपीलान्ट ने अपना हिस्सा किसी के पक्ष में हकतर्क नहीं किया परन्तु गेबसिंह के फोत होने पर नामान्तकरण संख्या 868 में अपीलान्ट का नाम उतरदाता संख्या 2 के साथ अंकित नहीं किया गया जबकि वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का स्व.गेबसिंह की पैतृक भूमि में 1/60 हिस्सा खातेदारी का है तथा स्व. गेबसिंह की पैतृक भूमि में 1/60 हिस्सा भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु उक्त तथ्यों को ध्यान में रखे बिना उतरदाता संख्या 1 ने म्युटेशन पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्त करने के काबिल है।
- उक्त आराजी मे कालीकंवर पुत्री गेबसिंह व सुकी पुत्री गेबसिंह ने दिनांक 03.04.2019 को तथा अमिया कंवर पुत्री गेबसिंह ने दिनांक 09.04.2019 को मदनकंवर के पक्ष में हकतर्क कर दिया परंतु मेतीकंवर पुत्री गेबसिंह द्वारा कोई हकतर्क नहीं किया गया।
- प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 27.11.2019 के तहत ग्राम जीवाणियों की ढाणी,बारासण के खाता संख्या 646 व अन्य में भागूवंकर पुत्री गेबसिंह जाति [illegible] का नाम शुद्धि कर मेतीकंवर पुत्री गेबसिंह जाति राजपूत किया गया [illegible] दस्तावेज संलग्न किये गये है।
- कि नामांतकरण संख्या 868 दिनांक [illegible] 2019 [illegible] पंचायत लोहारवा को कानूनन हक के विपरीत [illegible] व [illegible] प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

के कारण निरस्त करते हुए उक्त आराजी में मेतीकंवर पुत्री गेबसिंह का हिस्सा दर्ज करने का आदेश देते हुए पुनः नामांतकरण दर्ज करने का आदेश जारी कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी विधिवत तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। मैनें अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि मेतीकंवर जो कि स्व.गेबसिंह की जायंदा पुत्री है लेकिन प्रकरण में पारित नामान्तकरण संख्या 868 दिनांक 20.04.2019 को उतरदाता संख्या 01 द्वारा खातेदार गेबसिंह के मृत्युपरान्त पारित किया गया जो गेबसिंह के वारिशों की जांच किये बिना पारित किया गया जो विधि विरूद्व पारित किया गया। साथ ही गेबसिंह की तीन पुत्रियां कालीकंवर, चुकी कंवर व अमिया कंवर ने तो मदनकंवर पुत्री गेबसिंह के पक्ष में हकतर्क कर दिया लेकिन मेतीकंवर ने कोई हकतर्क नहीं किया तथा उन्हें बिना नोटिस दिए न ही उन्हें कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नामान्तकरण संख्या 868 दिनांक 20.04. 2019 प्राकृतिक सिद्वातों की अवहेलना कर केवल उतरदाता संख्या 2 के पक्ष में पारित करना विधि विरूध प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभीमत है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर मौजा लोहारवा पटवार हल्का लोहारवा तहसील धोरीमना में अवस्थित खेत खसरा संख्या 574/15.4266 है0 में स्व.श्री गेबसिंह पुत्र मानसिंह के फौतगी का नामान्तकरण में उतरदाता संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.04. 2019 को पारित नामान्तकरण संख्या 868 को अपास्त कर तहसीलदार धोरीमना को पुनः जांच व पुनः पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित व विधि संगत होगा। इस प्रकार उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय विरूद्व नामान्तकरण संख्या 868 दिनांक 20.04.2019 जो ग्राम पंचायत लोहारवा द्वारा पारित किये जाने के विरूद्व अपील भलीभांती साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत लोहारवा के खेत खसरा संख्या 574/15.4266 है0 में ग्राम पंचायत लोहारवा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 868 दिनांक 20.04.2019 को की गई [illegible] अपास्त की जाती है। तहसीलदार धोरीमना को निर्देश दि[illegible] कि उक्त नामान्तकरण अपास्त करने के बा[illegible] दर्ज कर [illegible] मेती कंवर के पिता गेबसिंह पुत्र मानसिंह के फौत [illegible] विधिक वारिसान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

मेतीकंवर बनाम ग्राम पंचायत लोहारवा
2025/41
निर्णय दिनांकः—20.05.2025

जांच कर नियमानुसार अपीलान्ट व उतरदातागण का हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करावें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

20/5/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:38 IST
Reason: SelfAttested